निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 366) पटना, बुधवार, 3 मई 2017

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
(निबंधन)

अधिसूचना
2 मई 2017

सं० 3/मु0 बैठक–67/2005 (खण्ड)–**2039—**कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा–26 एवं 34 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इलेक्ट्रोनिक रीति से मुद्रित स्टाम्प को कोर्ट फीस स्टाम्प के समतुल्य मान्यता देते हैं तथा स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को, ई–कोर्ट फीस प्रणाली के अधीन इस प्रकार के मुद्रित स्टाम्प को निबंधन महानिरीक्षक एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच निष्पादित एकरारनामा के निबंधनों एवं शर्त्तो के अधीन मुद्रित करने एवं बेचने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

---

2 मई 2017

सं० 3/मु0 बैठक–67/2005 (खण्ड)–**2039—**उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 2nd May 2017

No. 3/mu-baithak-67/2005 (Part)-**2039—**In exercise of the powers conferred by section 26 & 34 of the court fee act 1870 the Governor of Bihar is pleased to recognize the stamp printed by electronic mode at par with court fee stamp and to authorize the Stock Holding Corporation of India Ltd to print and sell the stamp so printed under e-court fee system in accordance with the terms and condition of the Agreement executed between the Inspector General of Registration and the Stock Holding Corporation of India Ltd.

By the order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 366-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in